चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 10.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के ब्जे से 50 लीटर कच्ची व 21 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(क). उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी लवकुश यादव व महिला आरक्षी सुकिर्तिका द्वारा अभियुक्ता सावित्री पत्नी केशव निवासी चिल्लाराकस थाना राजापुर हाल पता चांदी सुरसेन थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 50 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री रामधार सिंह थाना बरगढ़ तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त फूलकली देवी पत्नी बृजेश निवासी सुअरहा कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 21 क्वाक्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर

श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण मे थाना रैपुरा पुलिस टीम ने ग्राम तरकहवा पुरवा मजरा भौंरी में युवती की आत्महत्या में 02 नामजद अभियुक्तों को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया।

कल दिनाँक 09.04.2024 को थाना रैपुरा के ग्राम तरकहवा पुरवा मजरा भौंरी में एक युवती द्वारा आत्महत्या की गयी थी जिसमें मृतका के पिता की तहरीर पर थाना रैपुरा में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर क्षेत्राधिकारी निष्ठा उपाध्याय के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगायी गयी। थाना रैपुरा में नियुक्त उ0नि0 दिनेश पाण्डेय के नेतृत्व में मुकदमें के नामजद अभियुक्त अखिल पुत्र मुन्नालाल व सत्यभामा पत्नी मुन्नालाल निवासीगण तरकहवा पुरवा मजरा भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को आज समय दोपहर 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 376,306 भादवि0 व 04 द0प्र0 अधिनियम में रिमाण्ड बनाते हुए जेल भेज दिया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें अनवरत प्रयासरत है।

अभियुक्तों का विवरणः-

1.अखिल पुत्र मुन्नालाल निवासी तरकहवा पुरवा मजरा भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट
2.सत्यभामा पत्नी मुन्नालाल निवासी तरकहवा पुरवा मजरा भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

गिररफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री दिनेश पाण्डेय थाना रैपुरा
2.उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह
3.आरक्षी अंकित शुक्ला
4.आरक्षी सूरज निर्मल
5.आरक्षी अश्विनी कुमार
6.महिला आरक्षी निधि सेंगर

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम के लिये अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू साहू पुत्र रतन लाल साहू निवासी मनोहरीगंज मर्दन नाका चौकी बांदा थाना कोतवाली नगर बांदा जनपद बांदा को 06 अदद देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

06 अदद देशी बम

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी सुरेन्द्र

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अंशुल कुमार तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र कामता प्रसाद निवासी अर्जुनपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अंशुल कुमार
2.आरक्षी दीपक

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गजबये आलम तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 213/2024 धारा 147,323,324,325,307 भादवि0 के वांछित अभियुक्त 1. कल्लू पुत्र सलापाती 2. सलापाती पुत्र सुकुवा निवासीगण नई दुनिया बनवारीपुर बनकट मोड थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री गजबये आलम थाना कोतवाली कर्वी
2.उ0नि0 श्री अंशुल कुमार

(7). आज दिनांक 10.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री रीता सिंह के मार्गदर्शन मे अपराध निरीक्षक श्री प्रभुनाथ यादव द्वारा थाना मानिकपुर क्षेत्र के ग्राम बाल्किमी नगर पूर्वी पश्चिमी,इन्दिरा नगर,गोविन्द नगर, शास्त्री नगर,सुभाष नगर,शिव नगर,गांधी नगर,आर्य नगर,जवाहर नगर,पटेल नगर,महावीर नगर,झरी,सरहट,रूरल,पटा,सर्वदापुरवा,मऊगढी,उमरी,भैरमपुरवा,बगैचापुरवा,बैलहा,खिचरी एवं कस्बे में पड़ने वाले जामा मस्जिद,नूरी मस्जिद एवं इदगाह पर थाना मानिकपुर पुलिस बल एवं मणिपुर एस.ए.पी के साथ एरिया डोमिनेशन किया गया। इस दौरान आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक होकर मतदान करें।

(8). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 116/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त झल्लर उर्फ करन कोल पुत्र कृपाल कोल निवासी अमरपुर ऊँचाडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 29.10.2022 को थाना मानिकपुर मे नियुक्त उ0नि0 श्री बलदेव सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त झल्लर उर्फ करन उपरोक्त को 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 116/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना मानिकपुर में नियुक्त उ0नि0 श्री अरविन्द पाण्डेय द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी एवं दिनाँक 17.12.2022 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।